


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


:: संशोधित आदेश ::

इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/ए-5-6-8/एसीपी/उद./कोटा/भरत/2018 दिनांक 07.05.18 में क्रम संख्या 10 पर अंकित श्री रामप्रताप शर्मा, प्रधानाचार्य, राउमावि, रेवाडा जिला चित्तोड़गढ़ के एसीपी प्रकरण में कॉलम संख्या 02 राउमावि, रेवाडा के स्थान पर राउमावि, रेवाडा तथा कॉलम संख्या 7 व 8 में क्रमशः 18.08.15 तथा 19.08.15 संशोधित कर पढा जावे शेष शर्तें मूल आदेश के अनुसार यथावत रहेगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/ए-5,6,8/ACP/विदिप/2017/207 दिनांक : 24/4/19
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, चित्तोड़गढ़
2. श्री रामप्रताप शर्मा, प्रधानाचार्य, राउमावि, रेवाडा जिला चित्तोड़गढ़
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
4. निजि पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर